

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प.141/नि.अ.मा.वि./रा. छात्रा. संचा./2023-24/ 5948

जयपुर, दिनांक: 14/08/24

आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 5096 दिनांक 18.08.2023 द्वारा जिला जयपुर मे संचालित अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेश देने हेतु गठित की गई कमेटी के अतिक्रमण में निम्नानुसार प्रवेश कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (संयोजक)।
2. जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि (सदस्य)।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी (सदस्य)।
4. जिला कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार (सदस्य)।

उक्त कमेटी में से किसी का पद रिक्त होने पर जिला कार्यालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी को कमेटी में सम्मिलित किया जाये।

(नलिनी कठोटिया)
निदेशक

क्रमांक: प.141/नि.अ.मा.वि./रा. छात्रा. संचा./2023-24/ 5949-55
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

जयपुर, दिनांक: 14/08/24

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(सुशील कुमार)
सहायक निदेशक (चतुर्थ)

RajKaj Ref
9750616



Signature valid

Digitally signed by Nalini Kathotia
Designation: Director
Date: 2024.08.13 16:30:26 IST
Reason: Approved